बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 10 ● नई दिल्ली ● बुधवार 15 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए स्कूल जीबीएम अंतिम दौर में, हफ्ते के अंत तक बनेगी चुनाव समिति

नई दिल्ली । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव 2025-26 को लेकर तैयारियां जारी है। अलग-अलग स्कूल और सेंटरों में जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) आयोजित की जा रही है। इस हफ्ते के आखिरी तक चुनाव समिति संयोजक का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी होगा। जेएनयू छात्र संघ की सचिव मुंतेहा फातिमा ने बताया कि छोटे-छोटे स्कूल में जीबीएम पूरी हो चुकी है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ सोशल साइंस में जीबीएम का आयोजन होना बाकी रह गया है इस जीबीएम में स्कूल काउंसलर की ओर से रिपोर्ट भी पेश की जा रही है।

कुछ देश खुलेआम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे, राजनाथ सिंह ने इशारों में चीन-पाक को चेताया

नई दिल्ली । नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन को मंगलवार (14 अक्तूबर) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के लिए, शांति स्थापना कभी भी एक विकल्प नहीं रही, बल्कि एक आस्था का विषय रही है। हमारी आजादी के आरंभ से ही, भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के मिशन में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा है।

शांति स्थापना एक सैन्य मिशन से कहीं बढ़कर-रक्षा मंत्री

सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम सभी जानते हैं कि शांति स्थापना एक सैन्य मिशन से कहीं बढ़कर है; यह एक साझा जिम्मेदारी है। यह हमें याद दिलाता है कि संघर्षों और हिंसा से ऊपर मानवता है, जिसे बनाए रखने की जरूरत है। और इसीलिए जब युद्ध और अभाव से त्रस्त लोग ब्लू हेल्मेट्स को देखते हैं, तो उन्हें यह एहसास होता है कि दुनिया ने उन्हें त्यागा नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का उठाया मुद्दा

इस दौरान रक्षा मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने कहा,

आजकल, कुछ देश खुलेआम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अपने नियम बनाकर अगली सदी पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इन सबके बीच भारत पुरानी अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार की वकालत करते हुए अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूती से कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा- रक्षा मंत्री

नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले दशकों में, लगभग 2,90,000 भारतीय कर्मियों ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सेवा की है और अपने पेशेवर कौशल, साहस और करुणा के लिए वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। कांगो और कोरिया से लेकर दक्षिण सूडान और लेबनान तक हमारे सैनिक, पुलिस और चिकित्सा पेशेवर कमजोर लोगों की रक्षा और समाज के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं।

14 अक्तूबर से 16 अक्तूबर तक चलेगा सम्मेलन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा योगदान बलिदान के बिना नहीं रहा है। 180 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका साहस और निस्वार्थता मानव जाति की सामूहिक अंतरात्मा में अंकित है। बता दें कि इससे पहले थल सेना प्रमुख ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। बता दें कि यह सम्मेलन में 14 अक्तूबर से 16 अक्तूबर तक चलेगा, जहां 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे।

साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला, पुलिस और जांच समिति ने शुरू की कार्रवाई

नई दिल्ली । नई दिल्ली में दक्षिण दिल्ली स्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले ने विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा दिया है. पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 12 अक्टूबर, रविवार को विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के पास हुई जिसको लेकर जानकारी के मुताबिक मैदानगढ़ी थाने में दोपहर करीब 3 बजे पीसीआर को जानकारी कॉल के ज़रिए दी गई थी. यह कॉल छात्रा के एक परिचित व्यक्ति ने की थी. दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान मौके पर पहुचे. SAU के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल छात्रा को काउंसलिंग के लिए भेजा गया है और उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है. साथ ही छात्रा ने देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान

नहीं दिया था.

यूनिवर्सिटी प्रशासन का जांच में सहयोग का दावा

विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है और इस मामले में पारदर्शिता रखी जाएगी. इसके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है. इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर संजय चतुर्वेदी कर रहे हैं. कल्पना उज्जैनवाला को समिति की सचिव बनाया गया है, जबकि रितु गौड़ और कविता खन्ना इसके सदस्य हैं. समिति को 10 दिनों के अंदर डिटेल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

घटना को लेकर छात्रों में रोष

इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद, सोमवार शाम करीब 6 बजे बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय परिसर में इकट्ठा हुए और प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मामले में कार्रवाई में देरी की और विश्वविद्यालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की है कि पीड़ित छात्रा को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

छात्रों की सुरक्षा का दावा

इस बीच, विश्वविद्यालय के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है. हम सभी छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. फिलहाल, इस मामले में जांच जारी है और छात्रा के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह घटना दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रही है.

बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शरजील इमाम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मांगी है 14 दिन की जमानत

नई दिल्ली । दिल्ली दंगे के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है. उन्होंने यह जमानत बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी. शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि शरजील की नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए अंतरिम जमानत की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में ही दी जानी चाहिए थी. इस पर एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेई ने शरजील के वकील को याचिका वापस लेने की इजाजत दी. शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर कर 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मांगी थी. ताकि वह बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकें. अपनी याचिका में उन्होंने खुद को पॉलिटकल कैदी और स्टूडेंट एक्टिविस्ट बताया था. कोर्ट में दाखिल अर्जी में उन्होंने कहा कि वह अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं,जहां दो चरणों में 10 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच मतदान होना है. शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं. उन्हें नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उन्हें अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन वह अभी भी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जेल में हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उन पर यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम और उमर खालिद सहित सात अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

सूचना में थोड़ी देरी अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, डीपीएस द्वारका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के आरोप खारिज

दिल्ली ।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका और उसके अधिकारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत लगाए गए आरोप खारिज कर दिए। अदालत ने कहा कि बाल यौन अपराध की रिपोर्टिंग के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है और स्कूल की ओर से की गई आंतरिक जांच के कारण हुई थोड़ी देर को अपराध नहीं माना जा सकता है। यह फैसला जस्टिस अमित महाजन ने 10 अक्टूबर को सुनाया, जिसमें निचली अदालत के 15 मार्च 2023 के आदेश को रद्द कर दिया गया। मामला अप्रैल 2022 का है, जब डीपीएस द्वारका में आईडी कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने के दौरान एक फोटोग्राफर के सहायक पर एक नाबालिग छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप लगा। छात्रा ने तुरंत अपनी शिक्षिका को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद स्कूल काउंसलर और वाइस-प्रिंसिपल से बात हुई। स्कूल अधिकारियों ने सुबह 11:40 बजे जानकारी मिलने के बाद आंतरिक जांच की और दोपहर 1:15 बजे छात्रा की मां को सूचित किया। मां ने दोपहर 2:58 बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। निचली अदालत ने स्कूल पर छवि बचाने के चलते देरी का लगाया था आरोप-निचली अदालत (द्वारका सेशंस कोर्ट) ने स्कूल अधिकारियों पर पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत आरोप तय किए थे, जिसमें बाल यौन अपराध की सूचना न देने पर सजा का प्रावधान है। अदालत ने कहा था कि स्कूल ने अपनी प्रतिष्ठा की चिंता में पुलिस को तुरंत सूचित नहीं किया और छात्रा को मानसिक प्रताड़ना दी। साथ ही, स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि पीड़िता का पुलिस बयान कैसे हासिल किया गया। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 19 और 21 में रिपोर्टिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। अदालत ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 2013 की गाइडलाइंस का हवाला दिया, जिसमें घटना की सूचना मिलने पर 24 घंटे में जांच शुरू करने और 48 घंटे में पुलिस को रिपोर्ट करने का प्रावधान है। यहां स्कूल ने तुरंत चाइल्ड एब्यूज मॉनिटरिंग कमिटी बनाई और जांच पूरी कर मां को सूचित किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। अदालत ने माना कि कुछ घंटों की देरी से महत्वपूर्ण सबूत खोने का खतरा नहीं था और स्कूल की मंशा छिपाने की नहीं थी।

न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता और करियर प्रगति का मामला; 28 अक्तूबर से पांच जजों की पीठ करेगी सुनवाई

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 28 अक्तूबर से उच्च न्यायपालिका के कैडर में वरिष्ठता निर्धारण और न्यायिक अधिकारियों के करियर ठहराव से जुड़े अहम मुद्दों पर सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशीय संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई करेंगे। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची भी शामिल हैं। पीठ ने न्यायिक अधिकारियों के करियर प्रगति के मुद्दे पर कई पक्षों के नोडल वकीलों को नामित किया और कहा कि सभी लिखित तर्क प्रस्तुतियां 27 अक्तूबर तक दाखिल की जाएं। यह आदेश कई याचिकाओं पर पारित किया गया, जिनमें ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका भी शामिल थी। इन याचिकाओं में न्यायिक अधिकारियों की सेवा स्थितियों, वेतनमान और करियर प्रगति से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।

7 अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने पूरे देश के निचले न्यायिक अधिकारियों की तरफ से अनुभव किए जा रहे करियर ठहराव के मुद्दों को पांच न्यायाधीशीय संविधान पीठ के समक्ष भेजा था। मुख्य न्यायाधीश ने पहले कहा था कि न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए सीमित पदोन्नति अवसरों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक समाधान की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि कई उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों ने इस मामले पर जारी नोटिसों के जवाब में अलग-अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कुछ उच्च न्यायालयों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण जो न्यायाधीश सेवा में सिविल जज, जूनियर डिवीजन के रूप में प्रारंभ करते हैं, वे जिला जज के पद तक नहीं पहुंच पाते। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में प्रचलित असामान्य स्थिति का भी उल्लेख किया, जहां न्यायिक अधिकारियों की शुरुआत न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) के रूप में होती है, और वे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (पीडीजे) तक पहुंचने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उच्च न्यायालय की बेंच तक पदोन्नति का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता। हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसे बदलाव सीधे भर्ती होने वाले जिला जज के योग्य उम्मीदवारों के लिए अनुचित होगा और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है।

सोच के स्तर पर बदल रही बिहारी राजनीति

उमेश चतुर्वेदी ।

बिहार की राजनीति जाति और धर्म से कभी अलग नहीं रही। आजादी के फौरन बाद के चुनावों में जाति का असर कम रहा, क्योंकि तब स्वाधीनता संग्राम के दौरान अर्जित नैतिक मूल्यों की आभा और स्मृति बनी हुई थी। लेकिन बाद के दिनों में यह लगातार कम होता चला गया। जाति और धर्म की राजनीति तब भी होती थी, लेकिन उस पर स्वाधीन भारत को बनाने के लिए सर्वसमावेशी सोच का आवरण बना रहा। लेकिन मंडल आयोग की छाया में उभरी राजनीति के बाद जाति और धर्म का खुला-खेल शुरू हो गया। जातीय गोलबंदी खुलेआम होने लगी। बिहार के वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य ने जब लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया था, तब शासन सौंपने वाले हाथों की योग्यता उनकी न्याय प्रियता, उनकी प्रशासनिक कुशलता और निष्पक्षता थी। इसी बिडंबना ही कहेंगे कि जिस बिहार की धरती ने छठी सदी ईसापूर्व यानी करीब ढाई हजार साल पहले शासन के बेहतरीन मॉडल को अपनाया, उसी धरती पर वैधानिकता के आधार पर लागू लोकतंत्र ने जाति, धर्म और क्षेत्रवाद को खुद में समाहित कर लिया। लेकिन इस बार के चुनावों में लोकतंत्र का जातीय और धार्मिक मॉडल को किंचित चोट पहुंचती दिख रही है। बिहार गर्व करते नहीं अघाता कि उसकी धरती पर लोकतंत्र का जन्म हुआ। इसी लोकतंत्र की छांव में बिहार और प्रकारांतर से देश को आगे बढ़ाने का सपना जयप्रकाश नारायण ने देखा था। जब भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल की काली छाया पड़ी तो जेपी के नाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण की अगुआई में बिहार की ही धरती ने बिगुल फूंक दिया। इस बिगुल ध्वनि को देश ने सुना और जेपी के पीछे हो लिया। जिसकी परिणति आपातकाल के काले दिनों के अंत और बाद में आपातकाल थोपने वाले हाथों यानी इंदिरा गांधी की लोकतांत्रिक हार के रूप में देश और दुनिया ने देखा। जेपी की राजनीति में जाति और धर्म का आधार नहीं था। जेपी के पीछे पहले बिहार और बाद में तकरीबन उत्तर भारत जब चल पड़ा, तब देश और धर्म की बातें पीछे छूट गई थीं। तब देश को बनाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर धर्म, हर जाति और हर समूह ने अपने जातीय, धार्मिक और स्थानीय हितों को किनारे रख दिया और देश के लिए आगे चल पड़े थे। दुर्भाग्यवश उसी दौर में उभरे नेताओं ने जाति का सबसे बड़ा खेल खेला। बिहार की जातीय राजनीति को बढ़ावा देने में उसी दौर में उभरे नेताओं ने सबसे ज्यादा दिया। आज की बिहारी राजनीति के चमकते सितारे लालू यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, नंद किशोर यादव, आदि उसी दौर में उभरे चेहरे हैं। बाद के दौर में बिहार के चुनाव की चर्चा जाति और धर्म की बुनियाद को आधार बनाए असंभव मानी जाने लगी। वैसे यह रोग तकरीबन हर राज्य की राजनीति को लगा है। कहीं इसकी तासीर कम दिखती है तो कहीं कम, लेकिन यह हर जगह है। लेकिन बिहार के इस चुनाव में प्रशांत किशोर के जरिए कम से कम जातीय गोलबंदी की बात को लगाम पहुंची है। प्रशांत किशोर का चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, जितना भी उपहास उड़ाने की कोशिश करे, उन्होंने बिहारी राजनीति को नया चेहरा जरूर दिया है। प्रशांत ब्राह्मण परिवार के बेटे हैं। उनकी राजनीतिक आभा से परेशान बिहार का सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी। सत्ता पक्ष को बजाय विपक्ष की ओर से उन्हें ब्राह्मण बताने की कोशिश खूब हुई। लेकिन यह कार्ड चल नहीं पाया। दरअसल मंडलवाद की राजनीति के उभार के बाद सवर्णवाद की बात करने की हिम्मत भी दिखाना मुश्किल है। सवर्ण तबके की जातियां और उनके नेता अपनी जाति की बात कर लें तो उन पर जातिवादी ठप्पा लगाकर ट्रोल किया जाता रहा है। वैसे आज का जो विमर्श है, उसमें सवर्ण तबके की अपनी जाति की बात करना जातिवादी होना है और पिछड़े एवं दलित जातियों की बात करना उनका सशक्तीकरण एवं प्रगतिवाद का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। जेपी के बाद बिहार की तकरीबन हर जातियों में जिस राजनेता की व्यापक स्वीकृति रही, वे कर्पूरी ठाकुर हैं। दिलचस्प यह है कि आज के बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता हैं, सब कर्पूरी ठाकुर का नाम ही जपते हैं। यह बात और है कि कर्पूरी ठाकुर जैसी सादगी, उनके जैसी सर्वसमावेशी राजनीति की राह उनके चेलों ने नहीं अपनाई। बिहार की राजनीति के दोनों दिग्गज चेहरे जेपी और कर्पूरी की राजनीति में संकीर्णता का आधार नहीं नहीं था।

वे जातीय गोलबंदी की बजाय सर्वसमावेशी राजनीति की बात करते थे। आज की राजनीति और सामाजिक संतुलन के लिए आरक्षण व्यवस्था की जरूरत को कर्पूरी ठाकुर स्वीकार करते थे, लेकिन उनकी आरक्षण व्यवस्था में किसी खास वर्ग को लक्षित करने और उस पर निशाना साधने का भाव नहीं था। उन्होंने आरक्षण का जो फॉर्मूला दिया था, उसमें पिछड़ा वर्ग को बारह प्रतिशत, अति पिछड़े वर्ग को आठ प्रतिशत, महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत और गरीब सवर्णों के लिए तीन प्रतिशत का प्रावधान किया था। चाहे लोहिया की आरक्षण को लेकर सोच रही हो या फिर कर्पूरी का मॉडल, दोनों का मकसद सामाजिक विकास की दौड़ में पीछे रहे वर्ग को आगे रहे वर्गों के समकक्ष खड़ा करना और इस तरह बराबरी का बोध लाना था। यही वजह रही कि इन नेताओं के पीछे समाज का बड़ा हिस्सा खड़ा होता था, जहां जाति और धर्म की सीमाएं टूट जाया करती थीं। इसका यह मतलब नहीं था कि तब जातीय गोलबंदी खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह जरूर है कि ऐसा करने वाली ताकतों को बढ़ावा नहीं मिलता था। लेकिन जेपी और कर्पूरी के बाद स्थितियां बदल गईं। बिहार के मौजूदा चुनावों में प्रशांत किशोर के अभ्युदय ने जातीय गोलबंदी की इस रूढ़ि को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रशांत किशोर ने अपना दल बनाने के बाद एक गलती जरूर की। उन्होंने तब जरूर कहा था कि मुस्लिम समुदाय को तरजीह देंगे। ऐसा करके वे एक तरह से धार्मिक गोलबंदी की पारंपरिक अवधारणा को जरूर शह दे रहे थे। लेकिन शायद बाद में उन्हें इस गलती का अहसास हुआ और उन्होंने इस सोच का मुजाहिरा फिर नहीं किया। प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में उभार के बाद मुद्दों की बात हो रही है। महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने का मौजूदा नीतीश सरकार का फैसला हो या फिर तेजस्वी द्वारा हर घर को एक सरकारी नौकरी देने का वादा, प्रशांत किशोर की राजनीतिक शैली का दबाव माना जा सकता है।

प्रशांत किशोर बार-बार बिहार की बदहाली का सवाल उठाते हैं,वैश्विक स्तर पर मजदूर सप्लाई करने वाले राज्य के रूप में बिहार की स्थापित छवि पर सवाल उठाते हैं, बिहार को नई राह पर लेकर चलने की बात करते हैं, जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनाते हैं तो बिहार के पढ़े-लिखे युवाओं और बिहार की मौजूदा छवि से परेशान लोगों को उनकी बात अपील करती है। पिछली सदी के साठ के दशक तक प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देश का पांचवां बड़ा राज्य रहे बिहार की बदहाली का सवाल जब वे उठाते हैं तो बिहार का हित चाहने वाले लोगों को वह बात अपील करती है। यही वजह है कि उनके साथ हर वर्ग के लोग दिखते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में जाति की चर्चा पीछे छूट जाती है। खास दल के खास जातीय आधार की मान्यता के बीच से उसी जाति के बीच से जब कुछ आवाजें बिहार के पक्ष में उस दल विशेष के विरोध में उभरती हैं तो बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों को हैरत होती है।

यह बदलाव प्रशांत किशोर की राजनीति का कमाल कहा जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर के पीछे समूचा बिहार उठ खड़ा हुआ है। दकियानूसी की हद तक जाति और धर्म के खेमे में बंट चुकी बिहार की राजनीति की इस सोच में इस बार के चुनावों में खरोंच लगती दिख रही है। इस लिहाज से प्रशांत किशोर, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की परंपरा में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिहार की सोच में बदलाव की यह बयार बनी रही तो तय मानिए, बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

सम्पादकीय...

बढ़ते सड़क हादसे

भारत में सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क हादसे एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर घंटे औसतन 55 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत हो रही है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या विश्वस्तर पर सबसे अधिक है, यहां प्रति 10,000 किमी पर 250 मौतें होती हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (57), चीन (119) और ऑस्ट्रेलिया (11) की तुलना में अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में करीब 4.80 लाख सड़क हादसे हुए, जिसमें 1.72 लाख लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हादसों में 4.2 प्रतिशत की उछाल पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 4,80,583 गंभीर सड़क हादसे हुए। इनमें 1,72,890 लोगों की मौत हो गई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अठ्ठारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 18 से 45 साल के 66.4 प्रतिशत युवाओं की सड़क हादसों में मौत हुई। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद थे। 18 से 60 साल वर्ग की बात करें तो 83.4 प्रतिशत लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसों में मारे गए 1,72,890 लोगों में से 31.2 प्रतिशत यानी 1,50,177 की मौत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। 22 प्रतिशत यानी 1,05,622 की मौत एक्सप्रेस-वे पर, जबकि 46.8 प्रतिशत यानी 2,24,744 लोगों की मौत राज्य हाईवे पर हुई है। मौतों के मामले में यूपी सबसे आगे सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों में यूपी सबसे आगे है, जबकि सबसे ज्यादा सड़क हादसे तमिलनाडु में दर्ज किए गए। सड़कों के खराब होने से 14.47 प्रतिशत हादसे हुए। वहीं 67 प्रतिशत हादसे सीधी सड़क पर हुए। हादसों में दोपहिया वाहन सवार सबसे ज्यादा मौत के शिकार हुए। कुल हादसों में इनका प्रतिशत 44.8 रहा। वहीं सड़क पर चलने वाले 20.4 प्रतिशत लोग हादसों का शिकार हुए। तेज रफ्तार हादसों की मुख्य वजह साल 2023 में सड़क हादसों के बढ़ने की मुख्य वजह तेज रफ्तार रही। तेज रफ्तार की वजह से 68.1 प्रतिशत लोगों की मौत हुई, जबकि गलत साइड से चलने की वजह से 5.5 प्रतिशत हादसे पेश आए। मंत्रालय ने लगातार चौथे साल सड़क हादसों में ज्यादातर युवाओं की मौतों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। इन हालात को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। अगर बात करें सिर्फ सड़क हादसों तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। लेकिन अगर बात करें सड़क हादसों में हुई मौत की, तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। 2023 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। यहां 23,652 मौत हुई हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु। यहां 18,347 मौत हुई है। इसके बाद तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और यहां पर 15,366 मौत हुई है। चौथे स्थान पर 13,798 मौत के साथ मध्य प्रदेश आता है और पांचवें स्थान पर 12,321 मौत के साथ कर्नाटक आता है। विशेष बात यह है कि सबसे ज्यादा वृद्धि दो पहिया वाहन चलाने वालों की मौत में देखने को मिली है। इनमें से लगभग 70 फीसदी लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। यह विडंबना ही है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। जानकारों के मुताबिक इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकों व गुणवत्ता की खामियों वाली सड़कों की होती है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुःख जताया कि विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में जब भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप में चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं। यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों की तलाश करना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनाने के बावजूद हादसे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने में बाधक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके। साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह जानते हुए कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समानांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता। जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं। निस्संदेह, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तब हमें यह सुनने को नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के कुछ ही बाद ही सड़क उखड़ गई या बारिश में धुल गई। भारत सरकार ने 2030 तक सड़क हादसों को 50 फीसदी तक कम करने का एक लक्ष्य रखा है। लेकिन इसे पाने के लिए आम जनता को ही ट्रैफिक कानून का सख्ती से पालन करना होगा। इसी के साथ सरकार जन जागरूक अभियान और हादसों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन की भी शुरुआत करनी होगी। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है जिसके लिए सरकार एवं आम लोगों को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अपमान की गुस्ताखी पर गंभीर सवाल

पिछले सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ भी हुआ, वह एक बेहद शर्मनाक पल था। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के सम्मान में एक वकील ने जो गुस्ताखी की वह क्या केवल एक व्यक्ति का धर्मांध भावावेग था या फिर एक ऐसी मानसिकता जो हमारे सामाजिक ताने-बाने के लिए गंभीर संकट बनती जा रही है? ये घटना इतनी व्यथित करने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गवई साहब से बात की। घटना के बारे में आप सब जानते हैं कि 71 साल की उम्र के एक वकील राकेश किशोर ने प्रधान न्यायाधीश की तरफ अपना जूता उछालने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मी सजग थे। उसे पकड़ लिया गया। अपनी इस ओछी हरकत को सही ठहराते हुए उसने कहा- सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान! यानी ये स्पष्ट है कि उसकी मानसिकता क्या है! लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रधान न्यायाधीश ने किसी की भावना को ठेस पहुंचाया ही नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हुआ यह था कि खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फीट ऊंची मूर्ति है जिसके हाथ, पैर और धड़ तो सही सलामत है लेकिन मूर्ति का सिर नहीं है। एक व्यक्ति ने मूर्ति के सिर के पुनर्निर्माण के लिए याचिका दायर की। आमतौर पर पुरातत्व विभाग किसी भी ऐतिहासिक मूर्ति को उसी स्वरूप में रखता है जिस स्वरूप में वह मिली हो। भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर बनाने की याचिका को विशुद्ध रूप से प्रचार के लिए दायर याचिका करार देते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया था और कहा था कि प्रतिमा जिस स्थिति में है, उसी में रहेगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को यदि शैव धर्म से परहेज नहीं है तो वह शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है। इसी घटना के बाद प्रधान न्यायाधीश को बेबुनियाद तरीके से कोट करते हुए कुछ धर्मांध यूट्यूबर्स ने अभियान चला दिया। एक यूट्यूबर ने तो ऐसी-ऐसी बातें लिखीं और कहीं कि हम उन बातों का जिक्र भी यहां नहीं करना चाहेंगे। इतना ही नहीं, जब न्यायालय में राकेश किशोर नाम के वकील ने ओछी हरकत की तो उसके बाद अजीत भारती नाम के इसी यूट्यूबर ने और भी ओछी बातें लिखीं और यहां तक लिख दिया कि अभी तो यह बस शुरुआत है। धमकी देने के उद्देश्य से उसने एक पौराणिक प्रसंग का जिक्र भी किया था। अजीत भारती ने तो प्रधान न्यायाधीश की कार को घेरने का भी सुझाव सोशल मीडिया पर दिया था। हिंदू कैफे नाम का संगठन चलाने वाले कौशलेश राय ने भी प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ खुलकर आग उगली है और धमकी भी दी है। उसने अपने पोस्ट में वकीलों को हिंसा के लिए प्रेरित करने वाले वाक्य भी लिखे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सोशल मीडिया पर गवई साहब के खिलाफ उद्दंडता होती रही और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ने कोई कदम नहीं उठाया।

मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी किसी का भी संवैधानिक अधिकार है लेकिन सवाल यह है कि किसी को भी धमकी देने की आजादी नहीं दी जा सकती है, जब प्रधान न्यायाधीश को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दी जा रही हो और शासन-प्रशासन के किसी अधिकारी की नजर ही न पड़े तो संदेह होना स्वाभाविक है और यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि गवई साहब के अपमान की कोशिश उसी का नतीजा है। एक सोची-समझी साजिश है, यदि समय रहते अजीत भारती और कौशलेश राय जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो राकेश किशोर जैसे किसी व्यक्ति की ऐसी हिम्मत ही नहीं होती। न्यायालय और न्यायाधीशों को दबाव में लाने की कोशिशें दुनिया के दूसरे देशों में भी होती रही हैं। मैक्सिको में ड्रग्स कार्टेल ने न्यायतंत्र को भयभीत करने की बहुत कोशिश की, अब हालात सुधरे हैं क्योंकि सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश को डराने की बहुत कोशिश की, अभी आपने अमेरिका में देखा कि ट्रम्प ने किस तरह कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की। मेरा मानना है कि गवई साहब पर हमले की यह कोशिश हमारे न्यायतंत्र को भयभीत करने की कोशिश है। धर्मांधता का पहला सिद्धांत ही भय है, ऐसे लोग यह सोचते हैं कि उनकी सोच ही सही है और उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे तत्वों पर समय रहते अंकुश बहुत जरूरी है, मगर ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय न्यायतंत्र निडर भी है और शालीनता से परिपूर्ण भी है। आप इस बात पर गौर करिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी गवई साहब पूरी तरह शांत बने रहे और न्यायालयीन प्रक्रिया को सुचारु रखा। यह उनकी निडरता और संवेदनशीलता का परिचायक है। उनके पिता आर.एस. गवई सांसद और राज्यपाल रहे और मां कमला गवई भी अत्यंत विचारवान महिला हैं। हमारे प्रधान न्यायाधीश गवई साहब को ये निडरता और संवेदनशीलता माता-पिता से मिली है। सामाजिक उपेक्षा को उन्होंने बचपन से महसूस किया है। वे जरूर सोच रहे होंगे कि जूता फेंकने की कोशिश करने वाले की मानसिकता कितनी संकीर्ण है और अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि न्यायतंत्र को डराने की हर कोशिश का हम प्रतिरोध करते हैं। हम सभी भारतीयों को अपने प्रधान न्यायाधीश पर गर्व है। उनका असम्मान हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

इसराईली नरसंहार से जाग उठी है दुनिया

डोनाल्ड ट्रम्प को अपनी गाज़ा शांति योजना को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी,चाहे जरूरत पड़ने पर बेईमानी से ही क्यों न किया जाए? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी उत्सुकता में, ट्रम्प ने छल-कपट और सीधे-सीधे धूर्तता का सहारा लिया। नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी लालसा से भी ज्यादा दबाव वैश्विक जनमत का था जो लाइव टी.वी. पर इसराईल की अकथनीय क्रूरता, गाजा के नरसंहार, के साथ अमरीका के सहयोग की निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार की गई एक शांति योजना पर ट्रम्प और नेतन्याहू ने व्हाइट हाऊस में आगे चर्चा की। दोहा में एक समानांतर बैठक में, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, अल थानी और हमास के नेता 20 बिंदुओं पर बारीकी से विचार कर रहे थे। इस समय व्हाइट हाऊस में नेतन्याहू और कतरियों के साथ 20 सूत्री योजना का मूल पाठ एक ही था। फिर नेतन्याहू, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, जायोनी तिकड़ी एक बैठक में शामिल हुए। पाठ को नेतन्याहू के पक्ष में पूरी तरह से बदल दिया गया, जिससे उन्हें इसराईल वापसी की यात्रा पर एक वीडियो में शेखी बघारने का मौका मिला। इसराईल टैलीविजन के दर्शकों के लिए हिब्रू में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा, ''इस पर कौन विश्वास करता?'' उन्होंने विजयी भाव से कहा, ''आखिरकार लोग लगातार कह रहे हैं आपको हमास की शर्तें माननी होंगी, सभी (आई.डी.एफ.) को (गाजा से) बाहर निकालना होगा। आई.डी.एफ. को हट जाना चाहिए, हमास फिर से उभर सकता है और वह पट्टी पर फिर से कब्जा भी कर सकता है।'' फिर उन्होंने भड़कते हुए कहा, ''बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है।'' उनसे पूछा गया कि क्या वह फिलिस्तीनी राज्य के लिए सहमत हैं? ''बिल्कुल नहीं। यह बयान में नहीं लिखा है, लेकिन एक बात हमने जरूर कही थी कि हम फिलिस्तीनी राज्य का कड़ा विरोध करेंगे।'' धोखे से की गई यह कूटनीति एक खास मकसद के लिए है। इसराईल और अमरीका दोनों को समान रूप से जो बहिष्कृत दर्जा मिला हुआ है, उसे किसी न किसी तरह से खत्म करना होगा। मुख्यधारा के मीडिया को यह कहानी गढ़नी होगी कि नेतन्याहू 20 सूत्री समझौते को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास इसमें बाधा डाल रहा है। मिस्र में एक अनुवर्ती बैठक, जिसकी कई उम्मीदें हैं, हो रही है। फिलिस्तीनियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस मीडिया की विश्वसनीयता सत्ता प्रतिष्ठान की सेवा में लगातार बने रहने के कारण अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस योजना में एक 'शांति बोर्ड' बनाने का विचार है, जिसके अध्यक्ष ट्रम्प होंगे। उन्होंने एक और बात कही कि उनके पास हर समय सक्रिय रहने का समय नहीं हो सकता।

बिहार की चुनावी 'चौसर'

पिछली बार इसका समझौता भाजपा के साथ था। यह पार्टी भी कम से कम 20 सीटों की मांग कर रही है जबकि गठबन्धन में शामिल वामपंथी पार्टियां भी कम से कम 60 सीटें मांग रही हैं। पिछली बार के चुनाव में इन पार्टियों को शानदार सफलता हासिल हुई थी। कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही गठबन्धन जातिगत आधार पर अपना सीट समझौता करते नजर आ रहे हैं मगर इंडिया गठबन्धन की कमान लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव के हाथ में है जो बिहार विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के साथ मिलकर राज्य में वोट अधिकार यात्रा की थी जिसमें चुनाव आयोग निशाने पर था। विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी कराने का आरोप लगा रहा था। पूरे बिहार में इस यात्रा के चलते एक बार तो लगा कि इस दौरान लगाया गया 'वोट चोर- गद्दी छोड़' का नारा चुनावों का मूल विमर्श बनेगा परन्तु इस विमर्श को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब महिलाओं को आजीविका स्कीम के तहत दस-दस हजार रुपये बांट कर कुन्द कर दिया और महिला सशक्तीकरण का यह विमर्श अपनी जगह बनाने लगा तो तेजस्वी यादव ने यह घोषणा कर दी कि वह सत्ता में आने पर बिहार के हर उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे जिसमें कोई भी सरकारी नौकर नहीं है। अतः आजकल इस विमर्श के चर्चे बिहार में हो रहे हैं। यदि समग्र रूप से देखा जाये तो इस बार के बिहार के चुनाव मील का पत्थर साबित होंगे क्योंकि जाति से ऊपर का विमर्श तैराने की कोशिशें दोनों ही प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा की जा रही हैं।

आगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बिहार में चुनावी चौसर बिछ चुकी है। राज्य में सत्तारूढ़ एन.डी.ए. गठबन्धन व विपक्षी इंडिया गठबन्धन के बीच कांटे की लड़ाई होने जा रही है परन्तु जिस तरह भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. गठबन्धन ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे में बाजी मारकर पहल की है उससे कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल के सहकार वाला इंडिया गठबन्धन पीछे छूट गया है। इससे केवल इतना ही पता लगता है कि विपक्षी इंडिया गठबन्धन में सीटों के बंटवारे को लेकर मतैक्य कायम होने में अभी देरी है जबकि 6 नवम्बर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र भरने में केवल चार दिन का समय ही शेष रह गया है। बिहार की राजनिति को अगर देखें तो 1990 के बाद से इस राज्य में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला रहा है। इस मामले में अव्वल नम्बर पर श्री लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) रही है जबकि दूसरे नम्बर पर वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) या जद (यू) रही है। इस राज्य में केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अपने बूते पर वह नहीं रहा है कि वह अकेले सत्तारूढ़ हो सके अतः पिछले लगभग तीन दशकों में इस पार्टी का श्री नीतीश कुमार के साथ गठबन्धन तभी से रहा है जब से नीतीश बाबू की पार्टी समता पार्टी हुआ करती थी। इसके बाद 2005 से जद (यू) भाजपा गठबन्धन की सरकार बनती चली गई जिसका मुख्य रूप से कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल से मुकाबला होता रहा परन्तु कालान्तर में कांग्रेस ने लालू जी की पार्टी राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। अतः राज्य में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा व कांग्रेस की हालत दोयम पायदान पर ही बनी रही। मगर इन 2025 के चुनावों से पहले भाजपा की स्थिति बिहार में सुधरी जिसकी वजह से जनता दल (यू) व भाजपा एनडीए में रहते हुए बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबन्धन में कांग्रेस की स्थिति दूसरे पायदान पर ही बनी हुई है और यह राजद के मुकाबले बहुत कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। पिछले 2020 के चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था परन्तु यह केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। इसी देखते हुए इस बार राजद कांग्रेस को कम सीटें देना चाहती है जिसकी वजह से इंडिया गठबन्धन में सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। वहीं एन.डी.ए. में बीते कल ही सीट बंटवारे पर अन्तिम फैसला हो चुका है और भाजपा व जद (यू) ने 101ड्ड101 सीटों पर लड़ना गंवारा कर लिया है परन्तु इससे बिहार वासियों को यह सन्देश चला गया है कि अब जद (यू) एन.डी.ए. गठबन्धन में बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। एनडीए में पूर्व मुख्यमन्त्री जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा व चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। ये दोनों दल केवल बिहार तक सीमित हैं हालांकि स्व. राम विलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति का बिहार से बाहर भी हल्का प्रभाव देखा गया है परन्तु मांझी की पार्टी केवल बिहार के कुछ अंचलों में ही सिमटी हुई है। वास्तव में लोक जनशक्ति व हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा जाति आधारित पार्टी हैं जिसकी वजह से भाजपा इन्हें अपने साथ हर कीमत पर रखना चाहती है। चिराग व मांझी को केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में जगह भी इसी कारण मिली हुई है क्योंकि बिहार राज्य में जातिगत आधार पर वोट बैंक बने हुए हैं। भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी को 29 व अवामी मोर्चा को छह सीटें आवंटित की हैं। इसके साथ ही बिहार की एक और अन्य क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकमोर्चा भी एन.डी.ए. में शामिल है जिसका नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और इसके सर्वेसर्वा श्री उपेन्द्र कुशवाहा हैं। यह भी जाति आधारित पार्टी है। इसे भी भाजपा ने छह सीटें आवंटित की हैं। इस प्रकार भाजपा ने इंडिया गठबन्धन की गोलबन्दी कर दी है। इस सीट बंटवारे से एन.डी.ए. के सभी दल सन्तुष्ट दिखाई दे रहे हैं परन्तु इंडिया गठबन्धन में अभी भी बंटवारे पर रस्साकशी जारी है। खबर है कि कांग्रेस इस बार कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वह बिहार के सीमांचल जिलों की वे सीटें विशेषतौर पर चाहती है जहां से पिछले चुनावों में असीदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादे मुसलमीन के पांच विधायक जीते थे। कांग्रेस देशवासियों को इसके माध्यम से सन्देश देना चाहती है कि भारत के मुसलमानों में भी वह समान रूप से लोकप्रिय है। जबकि लालू यादव की पार्टी राजद पूरे राज्य में मुस्लिम-यादव वोट बैंक के सहारे ही अपनी चुनावी नैया पार लगाती रही है। यह कुल 137 सीटें लड़ना चाहती है जबकि राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है और इंडिया गठबन्धन में श्री मुकेश सहनी की क्षेत्रीय पार्टी विकाशील इंसान पार्टी भी शामिल है।

पिछली बार इसका समझौता भाजपा के साथ था। यह पार्टी भी कम से कम 20 सीटों की मांग कर रही है जबकि गठबन्धन में शामिल वामपंथी पार्टियां भी कम से कम 60 सीटें मांग रही हैं। पिछली बार के चुनाव में इन पार्टियों को शानदार सफलता हासिल हुई थी। कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही गठबन्धन जातिगत आधार पर अपना सीट समझौता करते नजर आ रहे हैं मगर इंडिया गठबन्धन की कमान लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव के हाथ में है जो बिहार विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के साथ मिलकर राज्य में वोट अधिकार यात्रा की थी जिसमें चुनाव आयोग निशाने पर था। विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी कराने का आरोप लगा रहा था। पूरे बिहार में इस यात्रा के चलते एक बार तो लगा कि इस दौरान लगाया गया 'वोट चोर- गद्दी छोड़' का नारा चुनावों का मूल विमर्श बनेगा परन्तु इस विमर्श को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब महिलाओं को आजीविका स्कीम के तहत दस-दस हजार रुपये बांट कर कुन्द कर दिया और महिला सशक्तीकरण का यह विमर्श अपनी जगह बनाने लगा तो तेजस्वी यादव ने यह घोषणा कर दी कि वह सत्ता में आने पर बिहार के हर उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे जिसमें कोई भी सरकारी नौकर नहीं है। अतः आजकल इस विमर्श के चर्चे बिहार में हो रहे हैं। यदि समग्र रूप से देखा जाये तो इस बार के बिहार के चुनाव मील का पत्थर साबित होंगे क्योंकि जाति से ऊपर का विमर्श तैराने की कोशिशें दोनों ही प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा की जा रही हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/0882)

भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर टिकैत गांव में खेत में युवती का शव मिला

भटनी, देवरिया।

भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर टिकैत गांव के पास दिन मंगलवार की सुबह एक 18 वर्षीय युवती का शव खेत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार सुबह बकरी चराने गए बच्चों ने खेत में शव देखा और शोर मचाया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। पहले सूचना खामपार थाने को दी गई, लेकिन जांच में पता चला कि शव भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद भटनी थानाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव

सुबह बकरी चराने गए बच्चों ने देखा शव

को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। मृतका की पहचान धर्मखोर दूबे गांव (थाना खामपार) निवासी हदीस अंसारी की पुत्री गुड़िया खातून (18 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात युवती ने परिवार के साथ भोजन करने के बाद सोने चली गई थी, लेकिन सुबह वह घर पर नहीं थी। परिजनों ने आसपास खोजबीन की, तब तक खेत में शव मिलने की सूचना मिली।घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी अंशुमान श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

छोटे से कारोबार से हाकिम पहुंचे गायकी की दुनिया के ऊंचे मुकाम पर

कप्तानगंज, कुशीनगर।

वर्ष 1989 में जन्मे एम ए की शिक्षा लेने वाले मोहम्मद हाकिम कभी सपने में भी नहीं सोच रखे थे, कि वह साउंड डी जे के छोटे कारोबार से इतने ऊंचे हिंदी व भोजपुरी गीतों के गायक बन जाएंगे। जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश में जन्मे अपने पिता बदरुद्दीन के छोटे बेटे हैं। इनका बचपन से ही साहित्य खासकर गीत व संगीत से लगाव रहा। पढ़ाई के दौरान वे कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो वहां पहुंच जाते। हाकिम गरीब परिवार के होने के कारण बड़े भाई राजन का कारोबार साउंड डी जे का था,उनके साथ हाथ बटाना प्रारम्भ कर दिए। हाकिम साउंड डी जे लेकर कहीं भी जाते तो मंचों पर गायकों के गायन से बड़ा प्रभावित होते, नतीजा धीरे-धीरे हुए गायन

गीतकार हाकिम से साक्षात्कार करते हुए बेचू बी ए।

क्षेत्र में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिए।कुछ ही दिनों में वे मंचो पर स्टेज शो भी करने लगे। पहले तो वह हिंदी गीत गाए, लेकिन बाद में भोजपुरी में डंका बजा दिए। उनकी सुरीली मीठी आवाज ने श्रोताओं को दीवाना बना दिया। इसी दौरान वह नेपाल बैंकॉक मॉरीशस और यूपी बिहार बंगाल दार्जिलिंग दिल्ली चंडीगढ़ प्रोग्राम करने गए। इन्होंने गायक खेसारी लाल यादव, टून टून यादव, शिल्पी राज, नेहा राज, अमृता दीक्षित, अनुपमा यादव, आयशा मोनी, सुनीता सोना जैसे चर्चित कलाकारों के साथ मंच साझा किए,। यही नहीं इन्होंने भोजपुरी एल्बम दे द माहुर का भी लॉन्च किया जो काफी पसन्द की गई। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2012 में महाराजगंज में ही शमा फिल्मस स्टूडियो का लॉन्च किया।इस स्टूडियो में जाने-माने गायिका अनुपमा यादव, धर्मेंद्र सोलंकी वह अन्य अन्य गायकों के गीतों का इन्होंने रिकॉर्डिंग किया। हाकिम इस क्षेत्र में जहां अपने गुरु कुंदन अकेला को मानते हैं ,वहीं अपने अब्बू जान वह बड़े भाई राजन को आदर्श मानते हैं इन्होंने वार्ता के दौरान बताया कि नए गीतकार अश्लील गीत लिखने से बचें।

शताब्दी वर्ष पर कुबेर स्थान बाजार में पथ संचलन आज

कुबेर स्थान, कुशीनगर।

शताब्दी वर्ष पर पथ संचलन पडरौना पिपरा जटामपुर पंचायत भवन से प्रारंभ होकर कुबेरस्थान बाजार से अन्हारी बारी चौराहे तक की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शताब्दी वर्ष के क्रम मेंआज 15/10/2025 बुधवार को सुबह 10:00 बजे स्वयं सेवक बंधुओं का पथ संचलन पडरौना खण्ड के पिपरा जटामपुर में ग्राम पंचायत भवन से प्रारंभ होकर कुबेरस्थान बाजार से अन्हारी बारी चौराहे तक चलेगा और संचालन का समापन होगा। उक्त सूचना खण्ड कार्यवाह पडरौना मनोज शर्मा और बौद्धिक प्रमुख रामवृक्ष गिरि ने दी है।

कार्य योजना बनाकर जनपद के 980 ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों के प्रति किया जा रहा है जागरूक - आलोक प्रियदर्शी

कुशीनगर। संपूर्ण जनपद में 5 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत जनपद के सभी 980 ग्राम पंचायत हो के सापेक्ष 1446 राजस्व ग्राम एवं 134 न्याय पंचायतों में कार्य योजना बनाकर विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जनपद के पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान को नोडल नामित किया गया है और ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए मच्छर जनित रोगों से बचाव एवं स्वच्छ पेयजल के इस्तेमाल के लिए आम जन मानस

विभिन्न विभागों के समन्वय से संचालित हो रहा है अभियान,ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान है नोडल

को जागरूक किया जा रहा है। नालियों की सफाई झाड़ियां की कटाई कूड़े का निस्तारण शौचालयों के समुचित रखरखाव एवं मरम्मत हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। मनरेगा के माध्यम से गांव में फॉगिंग का कार्य भी कराया जा रहा है जिन गांवों में नहीं हो सका है वहां तेजी लाने के लिए कहा गया है। जिला पंचायती राज अधिकारी श्री प्रियदर्शी ने बताया कि आने वाले आगामी त्यौहारों दीपावली भैया दूज गोवर्धन पूजा और छठ पर्व की दृष्टिगत साफ-सफाई के लिए न्याय पंचायत वार टोलिया बनाकर साफ सफाई के कार्य संचालित की जा रहे हैं।

उन्होंने सभी से अपील की की स्वच्छ पेयजल का सेवन तथा मच्छर जनित बीमारियों से बचकर जनपद में स्वस्थ वातावरण बनाने में अपना योगदान दें।

प्रशासनिक स्तर पर तहसीलदारों का स्थानांतरण के साथ हुई नवीन तैनाती

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा जनपद कुशीनगर के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदार के स्थानांतरण/तैनाती संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश जनहित एवं शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार महेश कुमार तहसीलदार खड्डा को स्थानांतरित करते हुए तहसीलदार (न्यायिक) तमकुहीराज के पद पर तैनात किया गया है। सुनील कुमार सिंह –I- तहसीलदार तमकुहीराज को स्थानांतरित कर संबद्ध कलक्ट्रेट मुख्यालय में तैनात किया गया है। इन्हें सीलिंग से संबंधित मामलों, मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतर न्यायालय में लंबित वादों की पैरवी कर निस्तारण कराने हेतु संबद्ध किया गया है। अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार खड्डा को निर्देशित किया गया है कि वे अपने मूल कार्य के साथ-साथ तहसीलदार खड्डा के रिक्त दायित्वों (धारा-67 के वादों को छोड़कर) का निस्तारण करेंगे। धारा-67 से संबंधित वादों का निस्तारण लिंक अधिकारी तहसीलदार पडरौना द्वारा किया जाएगा। इस हेतु किसी अतिरिक्त भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक सुचारूता एवं राजस्व कार्यों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है तथा इसका प्रभाव तत्काल से लागू होगा।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में

कुशीनगर।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन दो नवंबर को बिलासपुर में होगा जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने हेतु संघर्ष की एक रणनीति बनेगी। उक्त जानकारी देते हुए संगठन के उत्तर प्रदेश इकाई अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि देश के 22 राज्यों में कार्यरत अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति पत्रकारों का एक बड़ा परिवार है और इस परिवार का मिशन है देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अधिवेशन के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आयोजन होगा और पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलावड़िया के नेतृत्व में खाकर त्रिपाठी महफूज खान राकेश प्रताप सिंह परिहार गोविंद शर्मा सुनील चौधरी शेख खैस सहित दो दर्जन राष्ट्रीय पदाधिकारी संगठन को धार देने के लिए विभिन्न राज्यों का

दौरा शुरू कर दिए हैं, 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के बाद सभी प्रदेशों में राज्य कमेटियों का पुनर्गठन भी होगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने पत्रकार साथियों को आगाह करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर रोज बन रहे संगठनों से सावधान रहने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि समूह में रहने से ही समाज को बल मिलेगा, विभिन्न संगठनों में बंटे पत्रकार साथियों से निवेदन किया कि सभी संगठनों के साथी मिलकर पत्रकार सुरक्षा कानून की आवाज को बुलंद करें।

महिला प्रधान अब करेंगी विकास की अगुवाई, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में मिली नई दिशा, महिला प्रधानों को दिया गया प्रशिक्षण

देवरिया। पंचायती राज विभाग की पहल पर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को सशक्त करने और ग्राम विकास की दिशा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के अंतर्गत जनपद की 96 महिला ग्राम प्रधानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उप निदेशक (पंचायत) हिमांशु शेखर ठाकुर के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का संचालन जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि महिला ग्राम प्रधानों को अपने-अपने ग्राम सभाओं के लिए ठोस विकास कार्ययोजना बनाना बेहद जरूरी है, ताकि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का लाभ शोषित एवं वंचित वर्ग तक पहुँच सके। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रधान महिला हितैषी ग्राम पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत और

मिशन शक्ति जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में गंभीरता से कार्य करें। डीपीआरओ ने महिला प्रधानों से आग्रह किया कि वे अपने ग्राम में प्रशासनिक योजनाओं की जानकारी फैलाएं और सभी लाभार्थियों का आधार से सत्यापन सुनिश्चित करें ताकि जनपद की विकास दर में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम में डीपीआरसी के वरिष्ठ फैकल्टी सह प्रबंधक ब्रजेश नाथ तिवारी ने विकासखंडवार प्रगति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जिन महिला प्रधानों के प्रमाणपत्र अभी तक जारी नहीं हुए थे, उन्हें तत्काल पोर्टल पर जारी करने की प्रक्रिया समझाई गई। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी, एलएसडीजी, पीएआई, ओएसआर जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बढ़ते कार्बन उत्सर्जन का असर ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, इसलिए प्रत्येक पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा-करकट जलाने जैसी गतिविधियाँ कार्बन की मात्रा बढ़ा रही हैं, इसलिए ग्राम पंचायतों को कचरा प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर बल देना चाहिए। इस दिशा में महिला प्रधानों की भूमिका निर्णायक होगी। कार्यशाला में प्रशिक्षक अर्पिता, आलोक तिवारी, विनय कुमार ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए महिला प्रधानों को पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता और पंचायत संचालन से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी दी। कार्यक्रम में अजीता तिवारी, आरती, सुषमा, कुसुम, रागिनी, अर्पिता, आनंदी, डॉ. सरिता गुप्ता, विभा पांडेय, विनीता, कादम्बनी, जैतूनिशा सहित अन्य महिला प्रधान एवं प्रशिक्षक उपस्थित रहे। इस अवसर पर यह संकल्प लिया गया कि अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला प्रधान नेतृत्व की धुरी बनेंगी और अपने गांव को विकास, स्वच्छता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगी।

त्योहारों में कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने को पुलिस अलर्ट मोड पर , एसपी ने अपराध समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

देवरिया। आगामी दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक अहम अपराध समीक्षा गोष्ठी की। इस बैठक में जनपद के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान एसपी ने विभिन्न अपराधों की स्थिति की गहन समीक्षा की, जिसमें महिला उत्पीड़न, एससी-एसटी अत्याचार, लंबित विवेचनाओं, वांछित अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, गैर-जमानती वारंटों की तामीला, जीआर, बीआर, सीबीआर, एमबीआर, पीबीआर जैसे मामलों के निस्तारण और निरोधात्मक कार्यवाहियों की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही आईजीआरएस, सीएम डैशबोर्ड, मिशन शक्ति अभियान फेज-5, आपरेशन क्लीन, एचएस की सूची, माफियाओं पर की गई कार्रवाई, गो-तस्करी, शराब तस्करी, और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर

कार्रवाई की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों में जिलेभर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों के हॉटस्पॉट एरिया को चिन्हित कर वहां नियमित भ्रमण करें और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कें, चौक-चौराहे, पार्क, होटल, ढाबे, स्कूल, बैंक और पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करें। एसपी सुमन ने आदेश दिया कि सर्राफा बाजार, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। सभी थाना प्रभारी बार्डर पॉइंट्स और बैरियरों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाएं, रात्रि गश्त को सघन करें और होमगार्डों की प्रभावी ड्यूटी लगाई जाए। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने महिला बीट पुलिस को निर्देशित किया कि महिला संबंधित मामलों में पीड़ित परिवारों से सीधे संपर्क कर उनका फीडबैक लें। इसके साथ ही सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम के साथ स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्राओं को सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करें। बैठक के दौरान यातायात प्रभारी को जिले में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व सुचारु बनाने के निर्देश दिए गए।

सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में कोर्ट ने टाली सुनवाई, अब 15 अक्तूबर को होगी

नई दिल्ली। लद्दाख में पिछले महीने हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जेल में बंद सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 15 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि सोनम की हिरासत को अवैध बताते हुए उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की थी। हालांकि, आज कोर्ट ने समय की कमी की बात कहते हुए मामले की सुनवाई अगले दिन यानी बुधवार तक के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दमन और दीव के सांसद की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सांसद ने अपनी याचिका में दमन स्थित केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय भवन के नवीनीकरण, विध्वंस और जीर्णोद्धार में लगभग 33 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सांसद उमेशभाई बाबूभाई पटेल से अपनी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर करने को कहा। सुनवाई के दौरान, पटेल के वकील ने दलील दी कि सांसद पर 52 एफआईआर दर्ज हैं और वह लोकपाल द्वारा पारित एक आदेश को भी चुनौती दे रहे हैं।

वकील ने दलील दी कि सांसद के खिलाफ कई मामले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के खिलाफ उनकी आवाज उठाने का नतीजा है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या एक सांसद और एक आम नागरिक के लिए कानून अलग-अलग हो सकते हैं? जब वकील ने तर्क दिया कि पटेल जनता की ओर से काम करने वाले एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तो मुख्य न्यायाधीश गवई ने जवाब दिया, यह ठीक है। आप अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। तेलंगाना के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव के खिलाफ चल रहे फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने राव को निर्देश दिया है कि वे अपने आईक्लाउड अकाउंट का पासवर्ड राज्य पुलिस को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में सौंपें। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह भी कहा कि राव को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर जांच में पूरा सहयोग करना होगा। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें किसी भी जबरन कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देना जारी रखा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि राव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राव ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉर्मेट कर सबूत नष्ट कर दिए, जबकि कोर्ट की सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी। मेहता ने बताया कि उन्होंने डिवाइस को ऐसा फॉर्मेट किया है कि वह बिल्कुल नया लग रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही कहा गया है।

बिहार चुनाव, भाजपा की 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

सम्राट चौधरी को तरजीह, दिग्गजों के टिकट पर चली कैंची; बड़े बदलाव का दिया संकेत

पटना।

भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की, जिसमें निवर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। कुछ प्रमुख नाम की बात करें तो बेतिया से पार्टी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी पर नाम लगाया है।

इसके अलावा मधुबन से राणा रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जो की पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। खजापुर से

दोनों डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री लड़ेंगे चुनाव; 48 विधायक रिपीट, विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कटा

मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो किशनगंज से स्वीटी सिंह पर पार्टी ने फिर से दांव लगाया है। बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ेंगे। सिवान से मंत्री मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। अमनौर से मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को टिकट दिया गया है। साथ-साथ लखीसराय से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। दानापुर से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में होंगे जबकि विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ को पार्टी ने टिकट दिया है। गया शहर से प्रेम कुमार को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने वरिष्ठ नेता और विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट पटना साहिब से काट दिया है। पटना साहिब से पार्टी से रत्नेश कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दिया है जबकि कुम्हरार से संजय गुप्ता पर दांव लगाया गया है।

वाई पूरण कुमार के परिवार से मिले राहुल गांधी, पीएम और सीएम से कहा-एक्शन लीजिए और तमाशा बंद कीजिए

चंडीगढ़।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरण कुमार के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक परिवार से बात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने नायब सैनी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मामले के आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का मामला नहीं है। दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा कि मेरी पीएम और हरियाणा सीएम से अपील है कि दोनों बेटियों से किए वादे को पूरा करें। सरकार तमाशा बंद करें। राहुल गांधी ने कहा कि कई वर्षों से सिस्टम के आधार पर भेदभाव हो रहा है। अफिसर को कमतर करने के लिए करियर बर्बाद करने के लिए सिस्टम के आधार पर दूसरे अफिसर लगातार काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई-बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सफल क्यों न हो, कितने भी ताकतवर क्यों न हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हो।

राहुल गांधी ने मामले के आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का मामला नहीं है। दलितों को प्रताड़ित करना गलत है।

अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है। राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस प्रतिपक्ष राव नरेंद्र और एआईसीसी के चेतन चौहान मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। मृतक आईपीएस अधिकारी की पत्नी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने कपूर और बिजारनिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

अधिकारी का परिवार, जो उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा है, ने अपनी मांगों पर ध्यान दिए जाने तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। विपक्षी दलों के विभिन्न राजनीतिक नेता चंडीगढ़ में कुमार के परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

मृतक अधिकारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने रविवार को सरकार को कपूर और बिजारनिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसके विफल होने पर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी गई।

भ्रष्टाचार की जांच कर रहे एएसआई ने की आत्महत्या, मृत आईपीएस पूरन कुमार को बताया करप्ट

हरियाणा। रोहतक में हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कुमार ने खुद 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें 16 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम थे और आरोप लगाया था कि उनके उत्पीड़न के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। रोहतक में साइबर सेल में तैनात सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) ने तीन पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक वीडियो संदेश छोड़ा है, जिसमें उन्होंने पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई वाई पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे थे। अपने सुसाइड नोट में एएसआई ने कुमार को एक भ्रष्ट अधिकारी बताया और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर ली और उन पर जातिवाद का फायदा उठाकर व्यवस्था को हाईजैक करने का आरोप लगाया। एएसआई ने अपने नोट में लिखा मैं अपनी जान देकर जाँच की माँग कर रहा हूँ। इस भ्रष्ट परिवार को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

योगी सरकार ने दिवाली से पहले दिया तोहफा, 15 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस अनुमन्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 के आधार

पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्ययभार लगभग 1,022 करोड़ आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उत्साहपूर्वक मना सकें। राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600- 1,51,100) तक है (सादृश्य ग्रेड वेतन 4,800 तक)। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

बरेली बवाल: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर की हुई पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

बरेली।

बवाल के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीजेएम अलका पांडेय की कोर्ट में पेशी हुई। तौकीर रजा फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है। वहीं से वह वर्चुअल माध्यम से जुड़ा।

बरेली पुलिस ने उसे बवाल का मुख्य आरोपी बताया है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 28 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर कोर्ट ने पेशी के आदेश दिए हैं। कोतवाल अमित पांडेय ने बताया कि बवाल से संबंधित सभी मुकदमों में रिमांड मंजूर कर ली गई है। कोतवाली में

दर्ज मुकदमे में मौलाना तौकीर को बवाल का मुख्य आरोपी बताया गया है। अन्य 10 मुकदमों में साजिश रचने का आरोपी है। उधर, सीजेएम कोर्ट में तौकीर के करीबी नदीम, डॉ नफीस, नफीस का बेटा और अनीस सकलैनी को पेश किया गया।

ट्रंप ने मुनीर को कहा पसंदीदा फील्ड मार्शल, कांग्रेस बोली- मोदी-ट्रंप की ये कैसी दोस्ती?

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की प्रशंसा करने पर सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रंप को खुश करने की हताश कोशिशों के बावजूद, अमेरिकी नेता भारत को कैसा संकेत दे रहे हैं। विपक्षी दल ने ट्रंप द्वारा मुनीर की प्रशंसा और दोनों के बीच पिछली मुलाकातों का हवाला देते हुए पूछा कि ट्रंप और मोदी के बीच यह कैसी दोस्ती है? कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बताते रहते हैं और सच कहें तो अमेरिकी नेता भी मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते रहते हैं। रमेश ने एक्स पर कहा कि लेकिन यह कैसी दोस्ती है? राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 जून, 2025 को व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए एक अभूतपूर्व लंच की मेज़बानी की। ये वही फील्ड मार्शल थे जिनकी भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से ज़हरीली टिप्पणियों ने 22 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने 1 अक्टूबर, 2025 को व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल से दूसरी बार मुलाकात की, जब फील्ड मार्शल ने राष्ट्रपति ट्रम्प को दुर्लभ मृदा तत्वों से भरा एक बॉक्स भेंट किया। रमेश ने कहा कि कल मिस्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने असीम मुनीर को मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को विशेष स्थान दिया। मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने की बेताब कोशिशों के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप भारत को कैसा संकेत दे रहे हैं? रमेश ने पूछा, यह कैसी दोस्ती है? शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की प्रशंसा करते हुए, ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को गाजा में युद्धविराम समझौते के बाद मिस्र में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे इज़राइल-हमास युद्ध समाप्त हो गया। ट्रंप ने मुनीर को, जो इस अवसर पर उपस्थित नहीं थे, पाकिस्तान से मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा।

धारा 370 से सर्जिकल स्ट्राइक तक, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है- अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने आतंकवादी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन और तीन नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित करना शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस पर एक सभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि केंद्र ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए जांच तकनीकों को भी बढ़ाया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने आतंकवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है। 2019 से, हम देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हमने यूएपीए में संशोधन किया, एनआईए अधिनियम में संशोधन किया, आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण की जाँच के लिए पीएमएलए और ईडी को सक्रिय किया, आतंकवादी वित्तपोषण की वैज्ञानिक जाँच के लिए एक प्रणाली स्थापित की, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, एमएसी को मजबूत किया, सीसीटीवी और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की जाँच एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय डेटा साझा करने की पहल की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2023 में पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया है। शाह ने कहा कि केंद्र ने 57 से अधिक व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों को आतंकवादी घोषित किया है और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सशस्त्र बलों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक, भारत आतंकवादियों के संवेदनशील ठिकानों पर प्रहार करने में कामयाब रहा है। शाह ने कहा कि पहली बार, हमने तीन नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया है और अदालतों में पहले पाई गई खामियों को दूर किया है। अब तक, हमने 57 से ज़्यादा व्यक्तियों और कई संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उनकी गतिविधियों पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। अगर हम इस पूरे अभियान को ध्यान से देखें, तो अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक, हमने उनके संवेदनशील ठिकानों पर प्रहार किया है।

आजम खान का वाई सुरक्षा से इनकार, बोले- आर्थिक तंगी, 36 लाख का जुर्माना गाड़ी भी नहीं

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान बीते सितम्बर महीने में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए हैं, जिसके बाद उन्हें सरकार ने उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी है, वहीं अब सपा नेता आजम खान ने बिना लिखित आश्वासन के सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है. पूर्व मंत्री आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि मैं मुर्गी चोर-बकरी चोर हूं, मुझे 21 साल की सजा है तो मुझे कैसे सुरक्षा मिल रही है, मुझे भरोसा नहीं है. इसके साथ ही आजम खान ने अपने अंदाज में कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सुरक्षा देनी है तो कम से कम इतनी मिले जितनी मेरे विरोधियों के पास है. रामपुर में अपने आवास पर मीडिया से सुरक्षा न लेने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीर (लिखित) सूचना नहीं आ जाती, तब तक मैं इसे लेने के लिए तैयार नहीं हूं. मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है. आजम खान ने आगे बात करते हुए सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा हटाने और इसके परिणामस्वरूप उन्हें 21 साल की सजा और 36 लाख रुपये का जुर्माना लगने को नाराजगी जताई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मीडिया की खबरों में मैं सजायाफ्ता मुजरिम हूं, जिसे सुरक्षा नहीं मिल सकती, तो मैं अभी कैसे ले लूं? मेरे पास कोई अधिकारिक जानकारी नहीं होगी तो कैसे उन पर भरोसा करूंगा?.

विरोधियों के बराबर मिले सुरक्षा

आजम खान ने सुरक्षा दस्ते पर सवाल खड़े करते हुए कहा जो पहली दफा विधायक बने हैं उन्हें जेड प्लस से लेकर सेंट्रल फोर्स के कमांडो तक मिले हैं.

अगर सुरक्षा देनी है तो कम से कम इतनी दें जितनी मेरे विरोधियों के पास है. पहले एक सिपाही मिला था, लेकिन अब दौरों पर जाने की हिम्मत नहीं होती, इलाज के लिए दिल्ली जाता हूं और अकेले ही वापस आ जाता हूं. अगर किसी दिन कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा. बस विधानसभा और संसद में शोक व्यक्त हो जाएगा. सब कहेंगे कि मासूम आदमी बढ़िया था.

खुद की माली हालत बताई खस्ता

वहीं वाई श्रेणी की सुरक्षा के सवाल का जवाब देते हुए आजम खान ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों का खर्चा उठाने की इस समय मेरी माली हालत ठीक नहीं है. उन्हें अलग से गाड़ी कहाँ से दिलवा पाऊंगा. इसलिए सरकार पहले लिखित में बताए किस श्रेणी की क्या सुरक्षा व्यवस्था मिली है. मैं कैसे मान लूं ये जो खाकी वर्दी में है उत्तर प्रदेश सरकार के आदमी हैं. वाई श्रेणी में सबकुछ उपलब्ध करवाया जाता है मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला.

जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर धू-धू कर जल उठी चलती बस, 15 यात्री झुलसे; खिड़कियां तोड़कर कूदे लोग

जैसलमेर। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। हादसे में तीन बच्चों और चार महिलाओं समेत करीब 15 यात्री झुलस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 3:30 बजे जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर थईयात गांव के पास हुई। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार, बस रोजाना की तरह दोपहर 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा। इससे पहले कि चालक या यात्री कुछ समझ पाते, आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही बस में चीख-पुकार मच गई और यात्री जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदने लगे। कई यात्रियों के कपड़े और सामान जल गए। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी

जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 3:30 बजे जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर थईयात गांव के पास हुई। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार, बस रोजाना की तरह दोपहर 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी।

गई। दमकल की गाड़ियां कुछ ही देर में मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि बस के इंजन या वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है।

कई यात्री गंभीर रूप से झुलसे, दो लोग जोधपुर रेफर

हादसे में यात्रियों के चेहरे, हाथ-पैर और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए। गंभीर रूप से घायल ओमाराम भील (30) निवासी लाठी को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं, इमामत (30) और उसका बेटा यूनुस भी आग की चपेट में आए हैं, जिनका इलाज जोधपुर के अस्पताल में चल रहा है।